

विभागीय नवाचार

- वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र एवं ड्राइविंग लाइसेन्स स्मार्ट कार्ड पर जारी करना प्रारम्भ।
- अजमेर शहर से एक DTO कार्यालय का मुख्यालय नसीराबाद किया गया।
- राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों को कर संग्रह केन्द्र पर टैक्स जमा कराने के लिये ऑनलाइन टैक्स गणना एवं नेट बैंकिंग से भुगतान की सुविधा उपलब्ध कराना।
- लाइसेन्स हेतु आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा।
- दिनांक 28.10.2015 से सम्पूर्ण राज्य में दुपहिया वाहन चालकों एवं पीछे बैठने वाली सवारी के लिये हेलमेट लगाने की अनिवार्यता लागू।
- स्थायी चालक लाइसेन्स के आवेदनकर्ता को आवेदन के दिन ही लाइसेन्स जारी करना प्रारम्भ।
- महिलाओं को लर्निंग एवं चालक लाइसेन्स फीस में 50 प्रतिशत की छूट देना।
- आमजन को सस्ती एवं सुलभ परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से राज्य में लोक परिवहन सेवा का शुभारम्भ।
- वेब आधारित वाहन पंजीयन सॉफ्टवेयर सवाईमाधोपुर एवं जयपुर स्थित तीनों जिला परिवहन कार्यालयों में प्रारम्भ कर दिया गया है।